मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

दाण्डिक अपील क्र. 864/1995

अपीलार्थी :– शोभनाथ पिता मंगल बारगाह उम्र लगभग 23

निवासी:– ग्राम सिविलडंग, थाना कुसमी,

जिला:– सरगुजा म.प्र.

//विरुद्ध//

उत्तरवादी :– मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा,

थाना कुसमी, जिला:–सरगुजा म.प्र.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 (2) के तहत दाण्डिक अपील

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

युगल पीठ *:
माननीय श्री एल.सी. भादू एवं
माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायमूर्तिगण

दाण्डिक अपील क्र. 864/1995

शोभनाथ

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार के लिए निर्णय

सही/-
एल.सी भादू
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति वी.के.श्रीवास्तव

सही /-
वी.श्रीवास्तव
न्यायाधीश

23 दिसम्बर, 2005 को फैसले की तिथि

सही /-
एल.सी भादू
न्यायाधीश
22/12/2005

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रिमिनल अपील क्र.864/1995

शोभनाथ

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थिति :

श्री ए. के. प्रसाद, अधिवक्ता : अपीलार्थी हेतु

श्री जी.के. बेरीवाल, अतिरिक्त लोक अभियोजक,

श्री रविन्द्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता : प्रत्यर्थी हेतु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगल पीठ :–

माननीय श्री एल.सी भादू एवं

माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव न्यायाधीशगण

//निर्णय//

23 दिसम्बर 2005 को पारित आदेश

न्यायमूर्ति एल.सी. भादू द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित

1. इस अपील के द्वारा अभियुक्त शोभनाथ ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर जिला सरगुजा द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 381/94 में दिनांक 1.6.1995 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधानिकता पर प्रश्न उठाया है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को बिलिया बाई

की हत्या के लिए दोषी मानते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया था |

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि कुमारी बिल्लिया के पिता तेनई ने पुलिस थाना कुसमी, जिला सरगुजा में दिनांक 22.7.1994 को मर्ग सूचना (प्र.पी–10) दी कि दिनांक 17.7.1994 को रात्रि लगभग 9 बजे कुमारी बिल्लिया अपनी बड़ी बहन बुधनी के साथ खाना खाने के पश्चात अलग कमरे में सोने चली गई, वह भी अपने कमरे में सोने चला गया तथा उसकी पत्नी ग्राम भवानीपुर गई हुई थी। रात्रि लगभग 12.00 बजे बुधनी ने उसे बताया कि बिल्लिया घर में नहीं है, अत: उसके द्वारा रात में बिल्लिया की खोजबीन की गई। उसने रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, परंतु बिल्लिया का पता नहीं चल सका। पता लगा लिया गया है। आज दोपहर करीब साढ़े तीन बजे फैकू ने आकर सूचना दी कि गलफुला नाले के पास एक महिला की लाश पड़ी है तथा उसके हाथ–पैरों का मांस जंगली जानवरों ने खा लिया है, तथापि उसका चेहरा सुरक्षित है तथा चेहरे से पहचाना जा सकता है कि लाश बिल्लिया बाई की है। कुमारी बिल्लिया बाई के शोभनाथ से अवैध संबंध थे तथा वह चार माह की गर्भवती थी। इस पर गांव में पंचायत बुलाई गई जिसमें शोभनाथ को भी बुलाया गया तथा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को बिल्लिया बाई उसके घर आई थी तथा उसी रात को वह बिल्लिया बाई को उसके घर के पास छोड़ गया था। इस संबंध में सूचना मिलने पर देहाती नालिशी (प्र.पी–13) तैयार की गई तथा उसके आधार पर एफ.आई.आर. (प्र.पी–13 ए) दर्ज की गई। जांच अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और पंचों (प्रदर्श–पी–3) को सूचना देने के बाद शव का पंचनामा (प्रदर्श पी–4) तैयार किया। बिलिया बाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी भेजा गया, जहां पीडब्लू–6 डॉ. टी. साई ने मृतका बिलिया बाई के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रत्यक्ष पी–8 तैयार की, जिसमें उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण अंगों और हड्डियों की अनुपस्थिति में मौत का कारण और तरीका पता नहीं चल पाया है और मौत की अवधि लगभग 6–7 दिन है। जांच अधिकारी द्वारा साइट प्लान (एक्स.पी–12) भी तैयार किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि बिलिया बाई के शोभनाथ के साथ अवैध संबंध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थे और दुर्भाग्यपूर्ण रात में वह आरोपी शोभनाथ के घर गई थी, जहां से शोभनाथ उसे गलफुला नाले की ओर ले गया और नाले में धक्का दे दिया।

3. जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर की अदालत में दायर किया गया, जिन्होंने मामले को विचारण के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को सौंप दिया।

4. अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए 10 गवाहों की जांच की। आरोपी का बयान भी सत्र न्यायाधीश द्वारा द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ पेश की गई सामग्री से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे दोषी ठहराया गया है। उसे झूठे अपराध में फंसाया गया था और गवाहों ने दुश्मनी के कारण उसके खिलाफ गवाही दी थी।

5. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अतिरिक्त लोक अभियोजक और अभियुक्त के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, इस निर्णय के पैरा–1 में उल्लिखित तरीके से अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रसाद और अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बेरीवाल तथा राज्य/प्रतिवादी के पैनल अधिवक्ता श्री अग्रवाल को सुना है |

7. जहां तक कुमारी बिलिया बाई की हत्या में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का प्रश्न है, अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सम्पूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथा अभियोजन प्रकरण के अनुसार ही कुमारी बिलिया बाई दिनांक 17.7.1994 की रात्रि में अपने पैतृक घर से निकली थी, जबकि उसका मृत शरीर दिनांक 22.7.1994 को गलफुला नाले के पास पाया गया था तथा इस बीच अर्थात् 17 से 22 जुलाई, 1994 के मध्य क्या हुआ, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चिकित्सक (अ.सा.–6) भी हाथ–पैर गायब होने तथा शरीर को जंगली जानवरों द्वारा खाये जाने के कारण मृत्यु के कारण के संबंध में निश्चित राय नहीं दे सके ।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमने विवादित निर्णय और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया है। यह सच है कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और इस मामले में आरोपी/अपीलकर्ता को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** के मामले में **(1994) 2 एससीसी 220** में कहा है कि;

> "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष न केवल पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की हों और केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हों। उन परिस्थितियों को अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकता है और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप विश्वास के लिए कोई उचित आधार न बचे। यह याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कानूनी रूप से स्थापित परिस्थितियाँ और न केवल न्यायालय का आक्रोश दोषसिद्धि का आधार बन सकता है और अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्य की जांच करने में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, ताकि संदेह सबूत की जगह न ले ले।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करेंगे ताकि अभियुक्त/अपीलकर्ता को संबंधित अपराध से जोड़ा जा सके।

- मृतका कुमारी बिलिया बाई को अंतिम बार अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ दिनांक 17.7.1994 की रात्रि में जीवित देखा गया था।
- आरोपी/अपीलकर्ता के मृतका बिलिया बाई के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण वह चार महीने की गर्भवती थी और इस तरह मृतका बिलिया बाई उसे अपनी पत्नी के रूप में रखने के लिए दबाव डाल रही थी और चूंकि आरोपी/अपीलकर्ता पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए, दुर्भाग्यपूर्ण रात में, आरोपी/अपीलकर्ता बिलिया बाई को गलफुला नाले की ओर ले गया और उसे उक्त गलफुला नाले में धकेल कर उसकी हत्या कर दी।

11. जहां तक बिंदु संख्या 1 का संबंध है, अ.सा.–2 पार्वती–आरोपी/अपीलकर्ता की मां, हालांकि वह अपने बयान से पलट गई है, उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को वह अपने पति, आरोपी/अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के साथ थी। सावत्री अपने घर पर थी। मृतका बिलिया बाई रात्रि में अपने घर आई, तत्पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी बिलिया बाई के साथ घर से बाहर गया तथा मध्य रात्रि लगभग 12 बजे वापस लौटा। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी ने आगे कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी बिलिया बाई को उसके घर छोड़ने गया था तथा बाद में उसे पता चला कि बिलिया बाई की लाश नाले में मिली है। उसके घर से गलफुला नाले की दूरी एक घंटे की है। यह भी सही है कि बिलिया बाई अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंधों के कारण गर्भवती थी। अभियोक्ता–3 भागल भी अपने बयान से पलट गया है तथा उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोक्ता–5 रामसाई, जो कि सिविलडांग गांव का सरपंच था, ने कहा है कि पंचायत मृतका बिलिया बाई के पिता तेनई (अ.सा–8) के अनुरोध पर बुलाई गई थी, क्योंकि तेनई को हत्या के पीछे शोभनाथ पर संदेह था। यह साक्षी भी अपने बयान से पलट गया है, तथापि विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में उसने कहा है कि पंचायत के समक्ष आरोपी शोभनाथ ने स्वीकार किया है कि रविवार की रात्रि में बिलिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसके घर आई थी तथा तत्पश्चात वह उसे साइकिल से पुलिया के पास छोड़ गया था। अ.सा.–7 नारायण राम ने यह भी कहा है कि बिलिया बाई के पिता तेनई के कहने पर पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें आरोपी शोभनाथ को भी बुलाया गया था तथा उसने स्वीकार किया कि पिछले दो वर्षों से उसका बिलिया बाई के साथ अवैध संबंध था। यह साक्षी भी अपने बयान से पलट गया है। अ.सा.–8 तेनई, मृतका के पिता ने कहा है कि आरोपी शोभनाथ का उसकी पुत्री के साथ अवैध संबंध था, वह उसकी पुत्री के साथ घूमता था, आरोपी के साथ शारीरिक संबंधों के कारण वह चार माह की गर्भवती थी तथा पंचायत के समक्ष आरोपी शोभनाथ ने उसकी पुत्री के साथ संबंधों को स्वीकार किया था तथा उसने पंचायत को यह भी बताया था कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में बिलिया बाई के साथ पुलिया तक गया था। अभियुक्त/अपीलकर्ता की पत्नी अ.सा.–9 सावित्री बाई भी अपने बयान से पलट गई है तथा उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर किसी आरोपी को अपराध से जोड़ने के संबंध में कानून, जैसा कि संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बोधराज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य {(2002) 8 एससीसी 45}** के प्रकरण में उल्लेख किया है कि ;

> "अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब काम आता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है। ऐसे मामलों में दोष के निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक होगा जहां यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अन्य सकारात्मक सबूत नहीं है कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था।"

सुभाष चंद बनाम राजस्थान राज्य {(2002) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 702} के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि;

".....अंतिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य स्थापित करने के लिए, साक्ष्य से यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जाना चाहिए कि पीड़ित और आरोपी को अपराध के समय और दिनांक के निकट एक समय पर एक साथ देखा गया था...."

कर्नाटक राज्य बनाम एम.वी. महेश {(2003) 3 सर्वोच्च न्यायालय 353} के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"..... केवल आखिरी बार साथ देखा जाना ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रकृति के मामले में जो स्थापित किया जाना है वह यह है कि यह इंगित करने के लिए निश्चित साक्ष्य है कि बीना की हत्या की गई थी, जिसके बारे में प्रतिवादी को पता है या होना चाहिए और यह भी कि आखिरी बार साथ देखे जाने का समय भी निकट ही है...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के दृष्टिकोण में , किसी अभियुक्त को अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को कानूनी पुख्ता सबूतों से यह पता लगाना आवश्यक है कि मृतक और अभियुक्त को अंतिम बार साथ में जीवित देखे जाने के समय और मृतक की मृत्यु के बीच का समय अंतराल इतना निकट और समीपवर्ती होना चाहिए कि अभियुक्त के अपराध के बारे में अनुमान लगाया जा सके और मृतक की मृत्यु और अंतिम बार साथ देखे जाने के बीच किसी तीसरे व्यक्ति के आने की कोई संभावना न हो। ऐसे पुख्ता कानूनी सबूत होने चाहिए जो हत्या के मामले में अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इशारा करें। इसके अलावा, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना तब तक असुरक्षित है जब तक कि अंतिम बार साथ में अन्य परिस्थितियों से यह संकेत न मिले कि अभियुक्त ही अपराध का लेखक है। इस सिद्धांत के आधार पर यदि हम उपरोक्त साक्ष्यों को देखें, तो आरोपी की माँ पार्वती (अ.सा.–2) और अ.सा.–5 रामसाई, गाँव के सरपंच, जिन्होंने

पंचायत बुलाई थी, के साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि आरोपी/अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि मृतक बिलिया बाई रविवार की रात यानी 17.7.1994 को उसके घर आई थी और उसके बाद वह बिलिया बाई के साथ घर से चला गया और आरोपी/अपीलकर्ता उसी रात अकेले वापस आ गया। हालाँकि, मृतक का शव 22.7.1994 को मृत अवस्था में पाया गया था। क्या उपरोक्त तथ्य के आधार पर आरोपी/अपीलकर्ता को विचाराधीन अपराध से जोड़ा जा सकता है, इस पर बाद में विचार किया जाएगा?

14. जहां तक दूसरे बिन्दु का सवाल है, इस तथ्य के बारे में भी अभिलेख पर साक्ष्य है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता के बिलिया बाई (अब मृत) के साथ अवैध संबंध थे तथा वह चार माह की गर्भवती थी। इस तथ्य का अनुमान अभियुक्त की मां अ.सा.–2 पार्वती के साक्ष्य से लगाया जा सकता है, जिसमें उसने कहा है कि बिलिया बाई उनके घर आई थी तथा वहां से अभियुक्त/अपीलकर्ता बिलिया के साथ चला गया। पंचायत में उपस्थित अ.सा.–4 मुकुंद ने कहा है कि अभियुक्त ने पंचायत में स्वीकार किया है कि उसके बिलिया बाई के साथ अवैध संबंध थे। अ.सा.–5 रामसाई ने कहा है कि अभियुक्त ने बिलिया बाई के साथ अवैध संबंध होने की बात पंचायत में स्वीकार की है। पंचायत के समक्ष स्वीकार किया कि उसके बिलिया बाई के साथ अवैध संबंध थे और अ.सा.–7 ने उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि की है। मृतक के पिता अ.सा.–8 तेनई ने कहा है कि आरोपी शोभराम के उसकी बेटी बिलिया बाई के साथ अवैध संबंध थे। इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित होता है कि आरोपी/अपीलकर्ता के बिलिया बाई के साथ अवैध संबंध थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अब धनंजय चटर्जी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर हमें यह जांचना है कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध साबित करने में सक्षम है। यह सच है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि 17.7.1994 की रात में मृतक आरोपी के घर आया था, जहां से आरोपी और मृतक एक साथ चले गए और उसके बाद आरोपी रात में बिलिया बाई को छोड़कर अपने घर वापस आ

गया। यह भी स्थापित है कि आरोपी/अपीलकर्ता के बिलिया बाई के साथ अवैध संबंध थे। अब सवाल यह है कि क्या उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरोपी ही विचाराधीन अपराध का लेखक था। यदि हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर गौर करें, तो हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष बिलिया बाई की हत्या के साथ आरोपी को जोड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आरोपी/अपीलकर्ता का बिलिया बाई की हत्या करने का कोई इरादा/योजना थी और अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आरोपी/अपीलकर्ता ने बिलिया बाई की हत्या क्यों की। यह सही है कि रविवार की रात आरोपी बिलिया बाई के साथ उसके घर से चला गया, जहां बिलिया बाई आई थी, उसके बाद वह अकेला ही वापस लौटा और इस संबंध में पंचायत के समक्ष आरोपी/अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि उसने बिलिया बाई को पुलिया के पास छोड़ दिया था ताकि वह अपने घर वापस चली जाए। शव परीक्षण करने वाले डॉ. टी. साईं (अ.सा.–6) चिकित्सकीय साक्ष्य यानी शव परीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से यह साबित नहीं कर पाए हैं कि बिलिया बाई की हत्या की गई थी और मौत का कारण क्या था। जब तेनाई (अ.सा–8) को अच्छी तरह से पता था कि बिलिया बाई और आरोपी के बीच अवैध संबंध थे, तो वह घर छोड़कर चली गई। 17.7.1994 की रात को घर से निकली और वह वापस नहीं लौटी और उसका ठिकाना भी ज्ञात नहीं था, फिर उसने 18.7.1994 को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई और उसने पांच दिनों तक बिलिया बाई का शव गलफुला नाले में मिलने तक इंतजार क्यों किया। इस तथ्य की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जब अभियुक्त ने बिलिया बाई को छोड़ा, तो वह हताश होकर कहीं और चली गई होगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई होगी। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अपराध में अभियुक्त को जोड़ने के लिए प्रत्येक परिस्थिति को स्वतंत्र रूप से साबित किया जाना चाहिए और सभी परिस्थितियों की श्रृंखला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थापित की जानी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करे और अभियुक्त की निर्दोषता और प्रश्नगत अपराध में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की कोई संभावना नहीं है।

16. बिलिया बाई के लापता होने और उसके शव मिलने के बीच के समय–अंतराल को देखते हुए, मेडिकल साक्ष्य से मौत का कारण पता नहीं चल पाया और अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपी बिलिया बाई को खत्म करने के लिए दृढ़ था, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर पाया है। इसलिए उपरोक्त कारणों से, बिलिया बाई की हत्या करने के लिए आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

17. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और उसे स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता शोभनाथ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और उस पर लगाई गई सजा को निरस्त किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में इसकी आवश्यकता नहीं है तो अपीलकर्ता शोभनाथ को तुरंत रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–
एल.सी.भादू
न्यायाधीश
23/12/2005

सही /–
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश
23/12/2005

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By **सुरमीन अहमद, अधिवक्ता**